

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 258]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2013—ज्येष्ठ 24, शक 1935

आवास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2013

सूचना

क्र. एफ-3-86-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा रतलाम निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा :—

1. कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश.
2. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, रतलाम, मध्यप्रदेश.
3. आयुक्त, नगर निगम, रतलाम, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात् दिनांक 14 जून 2013 से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जून 2013

क्र. एफ. 3-86-बत्तीस-2009.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्र. एफ-3-86-2009-बत्तीस, दिनांक 14 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 14th June 2013

NOTICE

No. F-3-86-2009-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Ratlam Planning Area under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following Offices during Office hours, namely:—

1. Collector, Ratlam District Ratlam, Madhya Pradesh.
2. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Ratlam, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Municipal Corporation, Ratlam, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice, i.e. 14th June 2013 in Madhya Pradesh Gazettee under Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.